न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 212/2019

1. परमेश्वरी देवी पत्नी रणसिंह जाति कुम्हार निवासी इन्दासर त0 राजगढ जिला चुरू। :– **वादीया**

ब ना म

1. सत्यबाला पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री बलवंतसिंह एवं वकील प्रतिवादीगण श्री संदीप गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा अजीतपुरा के [illegible] सं0 166/162 के खसरा सं0 615 की 10.8130है0 में से 200 हिस्सा यानि 2.53[illegible] भूमि में से प्रतिवादीया सत्यबाला का नाम कलमजन किया जाकर परमेश्वरी को खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीया परमेश्वरी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.03.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

सत्यनारायण
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 212/2019

1. परमेश्वरी देवी पत्नी रणसिंह जाति कुम्हार निवासी इन्दासर त0 राजगढ़ जिला चुरू। :– **वादीया**

ब ना म

1. सत्यबाला पत्नी राजपाल जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री बलवंतसिंह: **वादी**
वकील श्री संदीप गोदारा : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 30.03.2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 166/162 के खसरा सं0 615 की 10.8130है0 में से 200 हिस्सा यानि 2.530है0 भूमि चन्द्रपाल पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी गढीछानी त0 भादरा व चन्द्रकोरी पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी ललाणाबास त0 नोहर से वादीया ने खरीद कर ली। उक्त भूमि का नामान्तरण भी वादीया के नाम से दर्ज हो गया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु परमेश्वरी देवी पत्नी रणसिंह जाति कुम्हार निवासी इन्दासर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही अजीतपुरा के खाता सं0 162 संवत 2066–69 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही अजीतपुरा खाता सं0 162/166 प्रदर्श 2, चालू जमाबंदी रोही अजीतपुरा संवत 2074–77 खाता सं0 738/162 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी में प्रतिवादिया सत्यबाला का नाम चल रहा है जबकि उक्त विवादित भूमि को वादीया ने दिनांक 23.11.2012 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीद कर लिया था। व नामान्तरण भी दर्ज करवा लिया। [illegible] रिकार्ड में भी जमाबंदी रोही अजीतपुरा संवत 2066–69 व संवत 2070 [illegible] उक्त भूमि वादीया के नाम से चली आ रही है। [illegible] 20[illegible]77 में उक्त भूमि प्रतिवादीया सं0 1 सत्य बाला के नाम से राजस्व रिकार्ड [illegible] सन 2013 में सहखातेदारों द्वारा खाता विभाजन का दावा छबील[illegible] आदि पेश किया। जिसमें प्रतिवादीया सत्यबाला को पक्षकार बना लिया। दावा डिक्री होने के दौरान भी राजस्व रिकार्ड में सत्यबाला दर्ज हो गया। जबकि [illegible]त्यबाला ने उक्त भूमि दिनांक 19.11.2011 को चन्द्रपाल पुत्र गुगनराम व चन्द्रकोरी पत्नी मनफुल को विक्रय कर दिया। दिनांक 23.11.2012 को उक्त भूमि परमेश्वरी ने चन्द्रपाल पुत्र गुगनराम व चन्द्रकोरी पत्नी मनफुल से खरीद कर ली। जिसके चलते प्रतिवादीया सत्यबाला ने दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए उक्त वादभूमि को वादीया परमेश्वरी के नाम राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के लिए सहमति दर्ज की । इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादीया डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीया ने अजीतपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वाद भूमि रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 166/162 के खसरा सं0 615 की 10.8130है0 में से 200 हिस्सा यानि 2.530है0 उक्त विवादित भूमि सत्यबाला ने दिनांक 19.11.2011 को चन्द्रपाल पुत्र गुगनराम व चन्द्रकोरी पत्नी मनफुल को विक्रय कर दिया। व दिनांक 23.11.2012 को उक्त भूमि परमेश्वरी ने चन्द्रपाल पुत्र गुगनराम व चन्द्रकोरी पत्नी मनफुल से खरीद कर ली। जो जमाबंदी संवत 2066–69 व 2070–73 से साबित है। इस प्रकार वादीया उक्त वाद भूमि की खातेदार काश्तकार है। अतः वाद वादीया मुताबिक अनुतोष के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 166/162 के खसरा सं0 615 की 10.8130है0 में से 200 हिस्सा यानि 2.530है0 भूमि में से प्रतिवादीया सत्यबाला का नाम कलमजन किया जाकर परमेश्वरी को खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीया परमेश्वरी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner